कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 09.05.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना मोतीगंज पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. झिन्कू प्रसाद पुत्र फागूराम नि0 ग्राम टकटोना थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-179/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 09.05.2023

नोएडा में कॉल सेंटर का संचालन करने वाले साइबर फ्रॉड गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार-

दिनांक 07.05.2023 को नेत्र विशेषज्ञ मनदीप कौर द्वारा थाना को0 नगर में सूचना दी गयी की दिनांक 01.05.2023 को साइबर अपराधियों द्वारा एच0डी0एफ0सी0 लाइफ पाॅलिसी से लगभग 14.5 लाख रूपये दिलवाने के नाम पर 44200/- रूपयों की ठगी की गयी थी। सूचना को संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री आकाश तोमर द्वारा साइबर अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश प्र0नि0 को0 नगर व प्रभारी साइबर सेल को दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के मार्गदर्शन में थाना को0 नगर व साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की मदद से प्रकाश में आये 03 आरोपी अभियुक्तों-01. प्रदीप कुमार शर्मा उर्फ राजू, 02. राहुल पाण्डेय, 03. उमाशंकर जायसवाल को सेक्टर 10 कम्पनी नं0 डी-304 तृतीय फ्लोर थाना फेज प्रथम गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद प्रिन्टर, 01 अदद लैपटाप, एटीएम कार्ड व बैंक कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. प्रदीप कुमार शर्मा उर्फ राजू पुत्र सतीशचन्द्र शर्मा नि0 ग्राम पोस्ट सिखेड़ा थाना को0देहात जनपद बुलन्दशहर।

02. राहुल पाण्डेय पुत्र ठाकूर प्रसाद पाण्डेय निवासी गनवरिया छितौनी थाना को0 देहात जनपद बलरामपुर।

03. उमाशंकर जायसवाल पुत्र सुभाषचन्द्र जायसवाल नि0 इटियाथोक थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास उमाशंकर जायसवाल-

01. मु0अ0सं0-184/2008 धारा 147,148,149,307,506,120बी भादवि0, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 7 क्रिमिनल ला (अमेन्डमेन्ट) एक्ट

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 357/2023 धारा 34,411,419,420,467,468,471 भादवि0 व 66/66डी/71 आईटी ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 15 अदद कीपैड मोबाइल फोन।

02. 01 अदद लैपटॉप मय चार्जर।

03. 01 अदद प्रिंटर

04. 01 अदद ए0टी0एम0 कार्ड

05. 02 अदद बैंक कार्ड।

06. 22 पेज कालिंग डाटा।

07. 2050 रूपये।

<u>अनावरण कर्ता टीम-</u>

01. प्रभारी स्वाट/साइबर/सर्विलांस संतोष कुमार सिंह, हे0का0 आनन्द प्रकाश, हृदय दीक्षित, रणधीर, महेन्द्र, राजू सिंह, यशवन्त, सुमित का0 अंशुमन, मनीष, राजेन्द्र।

02. उ0नि0 रामअशीष मौर्य थाना को0 नगर, का0 अंकित यादव।